प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-05 दिसम्बर, 2019

विषयः-कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु कारागारों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फीड कारागार मुख्यालय में प्राप्त कर निगरानी की व्यवस्था हेतु कारागार मुख्यालय में कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल की स्थापना एवं अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19644/आधु-1/वीडियो वॉल/2018-2019, दिनांक-01.07.2019 एवं पत्र संख्या-31170/आधु-1/वीडियो वॉल/सी0सी0टी0वी0/2019, दिनांक-15.10.2019 तथा कारागार मुख्यालय में कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-08/2019/152/22-4-19-107(ब)/12टी0सी0, दिनांक 14 फरवरी, 2019 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-27/2019/288/22-4-19-107(ब)/12टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2019 द्वारा जारी अग्रिम स्वीकृति का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को निरस्त करते हुए कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु कारागारों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फीड कारागार मुख्यालय में प्राप्त कर निगरानी की व्यवस्था हेतु कारागार मुख्यालय में कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल की स्थापना एवं अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु रू0 16,29,61,000/-(रूपया सोलह करोड़ उन्तीस लाख इक्सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों तथा मशीनों का क्रय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों संयंत्रों वाहनों आदि की व्यवस्था-26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/1844/दस/2019, दिनांक-05 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-89/2019/946/22-4-2019, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in